

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना

पीठाधीन अधिकारी - श्री हनुमाना राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 721/2014

वादीगण

1. कालूराम पुत्र उमा उर्फ अमला
2. गोरखाराम पुत्र उमा उर्फ अमला
3. भागीरथ पुत्र उमा उर्फ अमला
4. वीजां उर्फ विजयराम पुत्र मुकना
5. अणसी पुत्र प्रहलाद जातियान नाई निवासी भीमगुड़ा तहसील चितलवाना

1. गुणेशाराम प्रतिवादीगण
2. नमस्सम पुत्र सोना
3. शंकराराम पुत्र सोना
3. भवंरा पुत्र सोना
4. उदाराम पुत्र सोना
5. रतनी पत्नी सोना जातियान नाई
6. सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना लिमिटेड शाखा सांचोर
7. शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास लिमिटेड शाखा सांचोर

दावा बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

निर्णय

दिनांक 13.05.2023

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चितलवाना को मौजा भीमगुड़ा के खेत खसरा संख्या 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, कुल रकबा 9.22 हैक्टर मौजा तख्तगढ के खसरा संख्या 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, कुल रकबा 12.51 हैक्टर एवं मौजा सुराचन्द के खसरा संख्या 929 रकबा 0.49 हैक्टर इस प्रकार तीनों गांवों की कुल भूमि 22.22 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा व रकबे वर्णित हिस्सानुसार नर्मदा नहर में अवाप्त सुदा को निकाल कर शेष भूमि का प्रस्ताव मिट्स एण्ड बाण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार चितलवाना वादी - प्रतिवादीगण को सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित पक्षकारान् के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्ताव पेश किया जो निम्नानुसार है -

1. (अ) गुणेशाराम उदाराम भंवराराम शंकर प्रसाद उर्फ शंकराराम पि0 सोनाराम कौम नाई साकिन तख्तगढ खातेदार के हिस्से में - (रहन बदस्तुर)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
305 (भीमगुड़ा)	0.45	बारानी सोयम	
308 "	0.05	गैरमुमकिन ढाणी	
309 "	1.8480	बारानी सोयम	



सहायक कलेक्टर चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी (चितलवाना)

929 (सुराचंद) मे से	0.16	बारानी प्रथम
198 (तख्तगढ)	1.90	बारानी दोयम
199 "	0.01	गैरमुमकिन बेरा
200 "	1.02	चा.सोयम 0.09
		जा.सोयम 0.93
201 "	1.7120	बारानी दोयम
कुल 08	7.15	-

(ब) कालूराम, गोरखाराम, भागीरथराम पि० उमाराम जाति नाई सा.देह खातेदार के हिस्से में

(रहन बदस्तुर जमाबंदी)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
299 (भीमगुड़ा)	0.04	गैरमुमकिन ढाणी	
301 " मे से	0.60	बारानी सोयम	
301 " मे से	2.53	बारानी सोयम	
302 "	0.01	गैरमुमकिन बेरा	
303 "	0.07	गैरमुमकिन ढाणी	
304 " मे से	0.01	जाव दोयम	
304 " मे से	0.19	जाव दोयम 0.15	
		चाही दोयम 0.04	
304 " मे से	0.3920	जाव दोयम 0.32	
		चाही दोयम 0.072	
305 (भीमगुड़ा) मे से	0.45	बारानी सोयम	
929 (सुराचंद) मे से	0.16	बारानी प्रथम	
201 (तख्तगढ) मे से	0.5180	बारानी दोयम	
202 "	2.18	बारानी दोयम	

सहायक कलेक्टर चित्तमवाला
 तख्तगढ मण्डल, जिला चित्तमवाला

(स) विजय कुमार उर्फ वीजा वल्द मुकनाराम, अणसी देवी पत्नी मुकनाराम 1/2, मोहन पुत्र पेलाद 1/2 कौम नाई साकिन देह खातेदार के हिस्से में (रहन बदस्तुर जमाबंदी)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
306 (भीमगुड़ा)	0.05	गैर मुमकिन टाणी	
307 "	1.80	बारानी सोयम	
929 (सुराचंद) मे से	0.16	बारानी प्रथम	
203 (तख्तगंढ)	2.01	बारानी दोयम	
204 "	3.12	बारानी दोयम	
कुल 05	7.14	-	

(द) कालुराम, गोरखाराम, भागीरथराम पि० उमाराम, विजयकुमार पुत्र मुकनाराम, अणसीदेवी पत्नी मुकनाराम, मोहन पुत्र प्रहलाद, गणेशाराम, शंकरप्रसाद, भवराराम, उदाराम पि० सोनाराम कौम नाई साकिन देह खातेदार के हिस्से में - (रहन बदस्तुर जमाबंदी)


खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
301 में से	0.24	बारानी सोयम	(नहर मे अवाप्त)
304 में से	0.228	जाव दोयम 0.18 चाही दोयम 0.048	(नहर मे अवाप्त) (नहर मे अवाप्त)
305 मे से	0.12	बारानी सोयम	(नहर मे अवाप्त)
305 मे से	0.06	बारानी सोयम	(रास्ता प्रयोजनार्थ)
309 मे से	0.0820	बारानी सोयम	"
929 मे से	0.01	बारानी प्रथम	"
198 मे से	0.04	बारानी दोयम	"
कुल 06	0.78	-	

उक्त प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा के प्रस्ताव पर उमय पक्षकारान् को सुना गया है । जिस पर उमयपक्षकारान ने प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव पर सहमती जाहीर की।

महायक. कर्मचारी विभाग
(उपखण्ड अधिकारी, दिल्ली)

13/1/20

मिट्स एण्ड बाण्ड्स एवं कब्जा काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित तहसीलदार के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार बन्टवाड़ा के आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग अलग तरमीम कर अमलदरामद करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। डिक्री पर्चा उक्तानुसार जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।


सहायक कलेक्टर चितलवाना
राजस्थान
सहायक कलेक्टर चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर चितलवाना

डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

ब्यअपस चतवबमकनतम बवकमए चिचमदकपग श्क्.1
अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम चितलवाना
इजलास हनुमाना राम आर0ए0एस0

वादीगण

1. कालूराम पुत्र उमा उर्फ अमला
2. गोरखाराम पुत्र उमा उर्फ अमला
3. भागीरथ पुत्र उमा उर्फ अमला
4. बीजां उर्फ विजयराम पुत्र मुकना
5. अणसी पुत्र प्रहलाद जातियान
नाई निवासी भीमगुड़ा
तहसील चितलवाना

प्रतिवादीगण

1. ~~नमस्सुम~~ पुत्र सोना
2. शंकराराम पुत्र सोना
3. भवंरा पुत्र सोना
4. उदाराम पुत्र सोना
5. रतनी पत्नि सोना जातियान नाई
6. सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना
7. शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास
लिमिटेड शाखा सांचोर

दावा बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काप्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 721/2014

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान् एवं राज पेरोकार तहसीलदार चितलवाना
मनजानिव मुद्दायलय पेष होकर , हुक्म दिया जाता है कि :-

1. (अ) गुणेश्वाराम उदाराम भंवराराम शंकर प्रसाद उर्फ शंकराराम पि0 सोनाराम कौम नाई साकिन
तख्तगढ खातेदार के हिस्से में - (रहन बदस्तुर)


खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
305 (भीमगुड़ा)	0.45	बारानी सोयम	
308 "	0.05	गैरमुमकिन ढाणी	
309 "	1.8480	बारानी सोयम	
929 (सुराचंद) मे से	0.16	बारानी प्रथम	
198 (तख्तगढ)	1.90	बारानी दोयम	

सहायक कलेक्टर चितलवाना
तख्तगढ अधिष्ठाता (चितलवाना)
13/5/14

199	"	0.01	गैरमुमकिन बेरा
200	"	1.02	चा.सोयम 0.09 जा.सोयम 0.93
201	"	1.7120	बारानी दोयम
कुल 08		7.15	-

(ब) कालूराम, गोरखाराम, भागीरथराम पि० उमाराम जाति नाई सा.देह खातेदार के हिस्से में
(रहन बदस्तुर जमावंदी)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
299 (भीमगुड़ा)	0.04	गैरमुमकिन ढाणी	
301 "	मे से 0.60	बारानी सोयम	
301 "	मे से 2.53	बारानी सोयम	
302 "	0.01	गैरमुमकिन बेरा	
303 "	0.07	गैरमुमकिन ढाणी	
304 "	मे से 0.01	जाव दोंयम	
304 "	मे से 0.19	जाव दोयम 0.15 चाही दोयम 0.04	
304 "	मे से 0.3920	जाव दोयम 0.32 चाही दोयम 0.072	
305 (भीमगुड़)	मे से 0.45	बारानी सोयम	
929 (सुराचंद)	मे से 0.16	बारानी प्रथम	
201 (तख्तगंढ)	मे से 0.5180	बारानी दोयम	
202 "	2.18	बारानी दोयम	
कुल 12	7.15	-	


 सहायक कलेक्टर पितम्बरान
 उपखण्ड अधिकारी (विठलवाच)

(स) विजय कुमार उर्फ वीजा वल्द मुकनाराम, अणसी देवी पत्नी मुकनाराम 1/2, मोहन पुत्र पेलाद 1/2 कौम नाई साकिन देह खातेदार के हिस्से में (रहन बदस्तुर जमाबंदी)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
306 (भीमगुड़ा)	0.05	गैर मुमकिन ढाणी	
307 "	1.80	बारानी सोयम	
929 (सुराचंद) मे से	0.16	बारानी प्रथम	
203 (तख्तगंढ)	2.01	बारानी दोयम	
204 "	3.12	बारानी दोयम	
कुल 05	7.14	-	


(द) कालुराम, गोरखाराम, भागीरथराम पि० उमाराम, विजयकुमार पुत्र मुकनाराम, अणसीदेवी पत्नी मुकनाराम, मोहन पुत्र प्रहलाद, गणेशाराम, शंकरप्रसाद, भवराराम, उदाराम पि० सोनाराम कौम नाई साकिन देह खातेदार के हिस्से में - (रहन बदस्तुर जमाबंदी)

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
301 में से	0.24	बारानी सोयम	(नहर मे अवाप्त)
304 में से	0.228	जाव दोयम 0.18	(नहर मे अवाप्त)
		चाही दोयम 0.048	(नहर मे अवाप्त)
305 मे से	0.12	बारानी सोयम	(नहर मे अवाप्त)
305 मे से	0.06	बारानी सोयम	(रास्ता प्रयोजनार्थ)
309 मे से	0.0820	बारानी सोयम	"
929 मे से	0.01	बारानी प्रथम	"
198 मे से	0.04	बारानी दोयम	"
कुल 06	0.78	-	

तहसीलदार चितलवाना उक्तानुसार बंटवाड़ा के आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम कर अमल दरामद करे ।

मौजा भीमगुड़ा, सुराचंद एवं तख्तगंढ मुवलिंग -बाबत -खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह -फसीदी -सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक - की अदा करे ।

बर्षत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13.05.2023 को जारी की गई ।


 सहायक कलेक्टर चितलवाना
 (उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना)